न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 39/2012 (उदयपुर आर्डर)

नाथु पिता नगजी कलाल, निवासी अमरपुरा, टीडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मांगू पिता वीर जी मीणा, निवासी अमरपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. भगवाना पिता धर्मा जी मीणा, निवासी अमरपुरा, टीडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. हरी"ा पिता धर्मा जी मीणा, निवासी अमरपुरा, टीडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध
निर्णय जिला कलक्टर, उदयपुर
दिनांक 22–05–2012 प्र.सं. 20/11

———::———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्ट
2– श्री कुन्दनसिंह सोनी अभिभाशक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय दिनांक

15–05–2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक आवेदन धारा 14 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अमरपुरा, तहसील गिर्वा में आराजी

नंबर 169 रकबा 0.5400, 173/1 रकबा 0.3200 किता 2 रकबा 0.8600 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 5 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा थे। उक्त हाल आराजी विपक्षीगण को दिनांक 30–04–1986 को आवंटित कर दिये गये, जबकि उक्त भूमियों पर कब्जा प्रार्थीगण का अपने पूर्वजों से समय से चला आ रहा है। आवंटन पूर्व उद्‌घोषणा जारी नहीं हुई है तथा आवंटन नियमानुसार नहीं किया गया है एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है। अतः दिनांक 30–04–1986 को विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि पुनः बिलानाम दर्ज कर प्रार्थीगण के नाम नियमन करने का आदेश प्रदान कराया जावे।

विपक्षी की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 22–05–2012 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी/अपीलान्ट को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया एवं भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिये, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–06–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री कुन्दनसिंह सोनी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में बताया कि विवादित आराजी नंबर 169 रकबा 0.5400, 173/1 रकबा 0.3200 किता 2 रकबा 0.8600 हैक्टर भूमि अपीलान्ट को नियमानुसार आवंटित की गयी। आवंटन पूर्व उद्‌षोघणा जारी हुई है तथा आवंटन पूर्ण कोरम मं किया गया है। विपक्षी/अपीलान्ट भूमिहीन कृषक है तथा आवंटन फोड या मिसरिप्रजेन्टेशन से प्राप्त नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने काफी लागत लगाकर भूमि को आबादान किया है तथा आवंटन निरस्ती का आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व उसके द्वारा कुलिया भूमि का विकय भी किया जा चुका है, जिसका नामान्तरकरण भी केता के नाम स्वीकृत हो चुका है, जिसे रेस्पोन्डेन्ट ने जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके थे एवं कानूनन खातेदारी मिलने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता।

अपीलान्ट/विपक्षी ने फाड व मिसरिप्रेजेन्ट"ान से आवंटन प्राप्त नहीं किया है इसलिए आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता। विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य वाद भी पेण्डिंग है, जिसमें टी.आई. भी जारी है, जब रेग्युलर वाद विचारधीन है तो संक्षिप्त कार्यवाही नहीं चल सकती। आवंटित भ्मि पर रेस्पोन्डेन्ट का कभी भी कब्जा नहीं रहा, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा मानते हुए आवंटन खारिज कर दिया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखा जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2011 आर. आर.टी. पेज 270, 2009 आर.बी.जे. पेज 258, आर.आर.डो. पेज 125 व 454, 2003 (2) आर.आर.टी. पेज 921, 2009 आर.बी.जे. पेज 201, 2009 आर.बी.जे. HC पेज 112, 2006 (2) आर.आर.टी. पेज 1171, 1990 आर. आर.डो. पेज 642, 1993 आर.आर.डी. पेज 26 एवं 2004 (1) आर.आर.टी. पेज 352 पेश कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलान्ट को आवंटित भूमि पर कब्जा मांगू रेस्पोन्डेन्ट के पिता वीर जी का था एवं वर्तमान में रेस्पोन्डेन्ट का है। अधिनस्थ न्यायालय में कब्जे बाबत् रसीदे पे"ा की थी तथा अपीलान्ट ने एक मुकदमा भी दर्ज कराया था। वक्त आवंटन रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा होकर मौके पर जमीन खाली ही नहीं थी, फिर आवंटन कर दिया गया। विवादित भूमि अमरपुरा में है, जबकि आवंटी टी.डी. में रहते हैं। आवंटन नियम विरूद्ध होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली के अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि

....

जिससे हम यह पाते हैं कि मौजा अमरपुरा की आराजी नंबर 4077/4018/166 रकबा 0.8800 हैक्टर अपीलान्ट संख्या 1 के पति नगजी (अपीलान्ट संख्या 2 से 4 के पिता) एवं अपीलान्ट संख्या 1 केसीबाई को दिनांक 19–7–2003 को आवंटित की गयी थी, जिसके साबिक खसरा

नंबर 5 व आराजी नंबर 3 मीन थे। आवंटन सलाहकार समिति में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, प्रधान पंचायत समिति गिर्वा एवं सरपंच ग्राम पंचायत उपस्थित थे एवं चारों के द्वारा एक राय से यह आवंटन किया गया था। इसके प''चात् आवंटियों को पटवारी द्वारा जनवरी 2004 को कब्जा सिपुर्द किया गया एवं राजस्व नक''ो में खसरे की तरमीम भी कर दी गयी। रेस्पोन्डेन्ट मांगू के पिता वीरजी मीणा, भगवाना पिता धर्मा मीणा एवं हरी''ा पिता धर्मा मीणा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) में यह अंकित किया गया कि आवंटी नगजी एवं केसीबाई भूमिहीन का''तकार नहीं है और हैं इसलिए यह आवंटन धोखे से मिसरिप्रेजेन्टे''ान से एवं नियमों के विपरीत कराया गया है तथा यह भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि इस पर कब्जा वीरजी का था। इस प्रार्थना पत्र के परिप्रक्ष्य में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22—5—2012 को निर्णय पारित करते हुए पृ़श्ठ संख्या 5 पर किये गये वि''लेशण में साबिक आराजी नंबर 5 व 3 मीन पर प्रार्थीगण के पूर्वज वीरजी मीणा के नाम पर दिनांक 21—11—84, 24—11—78 एवं 26—11—79 की तिथियों में नाजायज कब्ज से बेदखली की धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिसों को इस तथ्य के लिए आधार बनाया है कि इस भूमि पर आवंटन के समय यानी वर्श 2003 में वीरजी का ही कब्जा था तथा इस आवंटन को खारिज करने का दूसरा आधार यह बताया कि आवंटी ने आवंटन भार्तो की पालना किये जाने का दस्तावेज खसरा गिरदावरी इत्यादि पे''ा नहीं की है। उक्त दोनों आधार आ''चर्य जनक प्रतीत होते हैं, क्योंकि अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन 2003 में हुआ था और वर्श 1984 से लेकर 2003 तक इस भूमि पर वीरजी मीणा के अतिकमण संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं होने के बावजूद भी इस भूमि वर वक्त आवंटन 2003 में वीरजी का कब्जा निश्कर्शित करना तथ्यों के विपरीत होकर एक काल्पनिक अवधारणा है। आवंटन दिनांक 19—7—2003 के प''चात् यह भूमि नामान्तरकरण संख्या 288 दिनांक 16—2—2006 तक की अवधि में सिवायचक ही दर्ज रही थी। प्रार्थीगण/आपत्तिकर्ताओं द्वारा उक्त अवधि में उनका इस भूमि पर कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ पटवारी हल्का द्वारा इस भूमि पर अपीलान्ट

आवंटी को कब्जा देने का पर्चा मौका इत्यादि उपलब्ध है जो कि इस बात की ताईद करते हैं कि यह भूमि वक्त आवंटन खाली थी और इसका जनवरी 2004 में आवंटी को कब्जा सिपुर्द किया गया था जिसे विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज किया ।

इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय को पत्रावली पर वीरजी पिता सवा मीणा के खाते में 12.64 हैक्टर भूमि गांव अमरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 के रेकार्ड से प्रमाणित है और इस प्रकार वीरजी मीणा इस भूमि के आवंटन या नियमन कराने के लिए पात्र भी नहीं पाये जाते हैं। दूसरी तरफ प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) के प्रस्तुतकर्ता रेस्पोन्डेन्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवंटी अपीलान्टगण का भूमिहीन नहीं होना प्रमाणित होता हो। आपत्तिकर्ताओं द्वारा नियम 14 (4) का प्रार्थना पत्र दिनांक 23–8–2011 को प्रस्तुत किया गया था और इस प्रार्थना पत्र के जवाब में अपीलान्ट विपक्षीगण ने दिनांक 26–3–2012 को जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह अंकित किया था कि रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण चुस्त, चालाक एवं आदतन अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं एवं पूरे गांव की जमीन हड़पना चाहते हैं और उनके विरूद्ध कई पुलिस केस भी चल रहे हैं और उनमें इनके चालान भी हुए हैं। आवंटी अपीलान्ट के जवाब, उसके भूमिहीन होने की स्थिति तथा उसको किया गया आवंटन, नियम 14 (4) के तीनों कारकों में से किसी भी कारक के अन्तर्गत अवैध होने का लेस मात्र भी सबूत अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित आधारों पर आवंटन को खारिज कर दिया है जो नियम 14 (4) के तीनों कारकों में से कोई भी कारक नहीं है, क्योंकि आवंटन में अपीलान्ट द्वारा मिथ्या तथ्य प्रस्तुत करने का कोई उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में नहीं है। इसी प्रकार नियमों के अन्तर्गत किसी प्रकार की अनियमितता होने का कोई उल्लेख भी नहीं है और आवंटन भार्तों की पालना नहीं होने का कारक भी प्रमाणित नहीं हो पाया है।

अपीलान्टगण को आवंटन जुलाई 2003 में हुआ एवं उसे जनवरी 2004 में कब्जा भी सिपुर्द कर दिया गया तथा 2006 में गैर खातेदारी से नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ उसके प”चात् उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त

हो गये। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा 2011 में आवंटन निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो आर.बी.जे. 2009 पेज 201 एवं आर.आर.टी. 2003 (2) पेज 921 में दी गयी न्यायिक व्यवस्था कि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता, की रो"ानी में यह आवंटन निरस्त किये जाने योग्य होना नहीं पाया जाता है। आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 1194, आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 157, आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 1220 में यह व्यवस्था दी गयी है कि अतिक्रमी को आवंटन निरस्त कराने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि इस प्रकरण में तो यह भी प्रमाणित हो चुका है कि वक्त आवंटन सन् 1984 से 2003 तक आपत्तिकर्ताओं के पूर्वज वीरजी मीणा का कब्जा नहीं था इसलिए उसके वारिसान को आवंटन निरस्त कराने कोई अधिकार ही उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि वक्त आवंटन यह भूमि अधिकृत रूप से अनाधिवासित भूमि थी इसलिए आर.बी.जे. 1995 पेज 733 में दी गयी न्याय व्यवस्था इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। इसी प्रकार आवंटी की पात्रता और उसके द्वारा सद्भावी तौर पर आवंटन प्राप्त किये जाने के संबंध में प्रस्तुत नजीर आर.बी.जे. 2009 पेज 112 एवं आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 1171, 1990 आर.आर.डी. पेज 642, 1993 आर.आर.डी. पेज 26 एवं आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 352 में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रो"ानी में अप्रार्थी/आवंटी अपीलान्टगण का आवंटन नियमों के विपरीत होना प्रमाणित नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्ट/अप्रार्थीगण द्वारा अपील में उठाये गये आक्षेपात पूर्ण रूप से प्रमाणित होते हैं और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–05–2012 संवहनीय नहीं होने से अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर